5/7/22 सुनवाई पत्र हुई अधि० वादी उपस्थित नहीं। अधि० प्रतिवादी एवं अधि० वादी की न्यायालय समय समाप्ति तक रुक-रुक कर आवाज लगवाई। वह विपक्ष कोई उत्तर नहीं। अधि० वादी उपस्थित नहीं अतः ये अधि० वादी एवं वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 CrPC 1955 की अवमानना। अवमानना में संज्ञान लिया जाता है। सुनवाई की तारीख निर्धारित इन्टरिम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेख समाप्त [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

5/07/22